



# Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh

Accredited A+ by NAAC, Bengaluru

Koni- Birkona Road, PO- Birkona, Dist- Bilaspur- 495009



Name of the Programme: Master of Arts (HINDI)				
Total No. of Full Time Dedicated Faculty: 03				
S. No.	Name of Faculty	Designation	Highest Qualification	Email & Contact no.
1.	Dr. Jaipal Singh Prajapati	Assistant Professor	Ph.D.	<a href="mailto:singh.jaipal82@gmail.com">singh.jaipal82@gmail.com</a> 9229703035
2.	Dr. Baratu Dhruw	Assistant Professor	Ph.D	<a href="mailto:Dhrutakri01@gmail.com">Dhrutakri01@gmail.com</a> 9617898203
3.	Dr. Santosh Kumar Baghel	Assistant Professor	Ph.D., NET-JRF	<a href="mailto:santosh.baghel@gmail.com">santosh.baghel@gmail.com</a> 9479273685

Regional Director

Regional Director  
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University  
Chhattisgarh, Bilaspur





पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर<sup>121</sup>  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 643644 फैक्स 424329, 213073

Web site : www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्रं. 2320 / प्रशा./स्था./16,

बिलासपुर, दिनांक 11/02/2016

// आदेश //

पं सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के परिनियम क्रमांक 09 की कंडिका 2 के प्रावधानों के तहत बनाई गई चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति पिता श्री रामगोपाल प्रजापति को अनारक्षित वर्ग में विषय हिन्दी (पत्रकारिता सहित) सहायक प्राध्यापक पद पर वेतनमान रु. 15,600 – 39,100 +6,000 ग्रेड पे में पदभार ग्रहण की तिथि से अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

2/ यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी –

- (1) कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) का चिकित्सा प्रमाण-पत्र करना जमा करना आवश्यक होगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी रु. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि नियुक्ति के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र सहित उपलब्ध कराई गई जानकारी सही है। यदि कोई भी अभिलेख असत्य पाया गया तो नियुक्ति रद्द की जा जायेगी।
- (3) यह नियुक्ति किसी भी पक्ष से दो माह का नोटिस अथवा एवज में दो माह का वेतन दिया जाकर समाप्त किया जा सकेगा।
- (4) नियुक्त कर्मचारी के द्वारा दो माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में दो माह का वेतन भत्ता का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर शर्त क्रं. 03 के अंतर्गत देय रकम उस कर्मचारी से वसूली योग्य होगी।
- (5) सेवारत कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी "कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- (6) नियुक्ति आदेश प्रसारण की तिथि से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।


क्रमशः – 02



// 02 //

- (7) शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 13 एवं परिनियम क्रमांक 09 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (8) यह नियुक्ति स्थानान्तरणीय है, अर्थात् प्रशासनिक कारणों/आवश्यकता को देखते हुये कर्मचारी का स्थानान्तरण विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों में भी किया जा सकता है।
- (9) प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों का अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में सरकार द्वारा जारी आदेशों का अनुपालन किया गया है।

आदेशानुसार



(डॉ. राजकुमार सचेदव )


कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय  
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

पृ.क्रं. 2321 / प्रशा./स्था./16,  
प्रतिलिपि -

बिलासपुर, दिनांक 11 / 02 / 2016

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) 492010 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।



कुलसचिव





पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752 240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. ११२९ / ०६ / १० / २०२३

बिलासपुर, दिनांक : ०६ / १० / २०२३

प्रति,

डा. संतोष कुमार कश्यप  
अ-५ अकेला इन्डियन गीर्वा

विषय :- छिंदी

विषय :- C.A.M. के तहत रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार

विभाग प्रमुख

पु. क्र. ११३० / ०६ / १० / २०२३

बिलासपुर, दिनांक : ०६ / १० / २०२३

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख

..... विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 137/06/10/2023

बिलासपुर, दिनांक : 06/10/2023

प्रति,

श्री. बरतू राम श्रुव  
अतिथि शिक्षक (हिन्दी)

विषय :- हिन्दी

विषय :- C.A.M. के तहत रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन-उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश यू.जी.सी.-डेब से पाठ्यक्रम हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के बाद पाठ्यक्रम प्रारंभ होने की तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा अन्यथा की स्थिति में स्वतः निरस्त माना जाएगा।

आदेशानुसार

विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 138/06/10/2023

बिलासपुर, दिनांक : 06/10/2023

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख

हिन्दी विभाग

प्रति,

कुलसचिव महोदय,  
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय,  
कोनी-बिरकोना, बिलासपुर (छ.ग.)

संदर्भ :- आपके आदेश क्र. ७३२/५२१/स्था/१६

विषय :- सहायक प्राध्यापक विषय-हिंदी में पदभार ग्रहण करने बावत्।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भानुसार पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर में मेरा चयन सहायक प्राध्यापक विषय-हिंदी (अनारक्षित श्रेणी) के लिए हुआ है। मैं डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति पिता श्री रामगोपाल प्रजापति आज दिनांक 12/02/2016 दिन शुक्रवार पूर्वाह्न अपने समस्त मूल योग्यताओं प्रमाण-पत्रों के साथ पदभार ग्रहण करना चाहता हूँ।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पदभार ग्रहण कराने की कृपा करें।


सधन्यवाद,

दिनांक : 12/02/2016

स्थान : बिलासपुर

प्रा. 11 बजे

भवदीय,

  
12/02/2016

(डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति)

  
12.2.16

प्रति,

विभागाध्यक्ष,

हिनवरी

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़।

विषय : कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी।

सन्दर्भ : आपका आदेश क्र.-----0137-----

महोदय

सविनय यह कि आपका आदेश क्र.-----0137-----

के तारतम्य में आज दिनांक--06/10/23 को मैं पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (GT) पद पर अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा/ रही हूँ।

सूचनार्थ प्रेषित।

हस्ताक्षर, विभागाध्यक्ष

हस्ताक्षर

नाम --ब्रह्मराम धुव

प्रति

विभागाध्यक्ष

हिन्दी विभाग

पं.सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़

विषय : कार्यभार ग्रहण सम्बन्धी।

संदर्भ : आपका आदेश क्र. १/२९/०६/१०/२०२३

महोदय

सविनय यह कि आपका आदेश क्र. १/२९/०६/१०/२०२३  
के तारतम्य में आज दिनांक ६/१०/२३ को मैं पूर्णकालिक सहायक प्राध्यापक (GT) पद पर  
अपना कार्यभार ग्रहण कर रहा/रही हूँ।

सूचनार्थ प्रेषित।

सुनील  
०६/१०/२०२३  
हस्ताक्षर, विभागाध्यक्ष

हस्ताक्षर सुनील

नाम डॉ० सुनील कुम्भार बघेल